भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र/ Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2019/ 4914 दिसंबर 03, 2019

सूचना / Notice

विषय : 25 वर्ष से अधिक आयु वाले मानसिक रूप से विकलांग/दिव्यांग बच्चों को आजीवन सीएचएसएस कार्ड जारी करने के संबंध में।

Sub : Issue of lifetime CHSS cards to mentally challenged / physically disabled dependent children beyond 25 years of age- reg.

उपरोक्त विषय पर पऊवि के दिनांक 22.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/2019-IR&W/14350 की एक प्रति संलग्न है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/2/2019-IR&W/14350 dtd.22.11.2019 on the above subject, is enclosed.

इस केंद्र के सभी कार्मिक उक्त कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सूचनार्थ हेतु कृपया नोट करें।

All the employees of this Centre may please keep note of the content of the Office Memorandum for their information.

(ए. के. पात्रा / A. K. Pattra)
सहायक कार्मिक अधिकारी/Asst. Personnel Officer
4.12.2019

सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards :

सत्यमेव जयते

ई-मेल/e-mail-
irw@dae.gov.in
(☏ 022-22862703)
फैक्स/Fax No.-2204 8476
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग / IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन / Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग / C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं No.7/2/2019-आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/14350

नवंबर November 22, 2019

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय **25 वर्ष से अधिक आयु वाले मानसिक रूप से विकलांग/दिव्यांग बच्चों को आजीवन सीएचएसएस कार्ड जारी करने के संबंध में ।**

Subject : **Issue of lifetime CHSS cards to mentally challenged / physically disabled dependent children beyond 25 years of age– Regarding.**

सीएचएसएस नियमावली के नियम 4.1 (बी) तथा (सी) में उपबंध किया है, कि 25 वर्ष से अधिक आयु वाले मानसिक रूप से विकलांग / दिव्यांग बच्चे, जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है, वे उस समय तक लाभ पाने के पात्र होंगे, जब तक वे मुख्य लाभार्थी पर आश्रित रहेंगे । तदुपरांत, विभाग ने दिनांक 18.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं.7/14/98-आईआरएंडडब्ल्यू/खंड II/111 द्वारा इस मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की है।

Rule 4.1 (b) and (c) of CHSS Rules provided that mentally retarded / physically handicapped children beyond 25 years of age shall be eligible for the benefits till such a time they are dependent on prime beneficiaries provided that the disability exceeds 40%. Subsequently this Department vide OM No.7/14/98-IR&W/Vol.II/111 dated 18.05.2009 had laid down following procedure in the matter:

i) 5 वर्ष से अधिक आयु वाले मुख्य लाभार्थी के आश्रित बच्चों को आजीवन सीएचएसएस कार्ड जारी करना जो गंभीर और अत्याधिक मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं।
To issue lifetime CHSS card to the dependent children of prime beneficiary beyond the age of 25 years who are suffering from severe and profound mental retardation.

ii) 25 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग / मानसिक रूप से विकलांग आश्रित बच्चों को 3 वर्षों की अवधि के लिए सीएचएसएस कार्ड जारी करना ।
To issue CHSS cards for a period of 3 years to the dependent physically handicapped / mentally disabled children beyond the age of 25 years.

iii) मुख्य लाभार्थी तथा उसके जीवनसाथी की मृत्यु होने पर विधिक अभिभावक के अनुरोध पर ऐसे बच्चों को आजीवन / 3 वर्षों की अवधि के लिए सीएचएसएस कार्ड जारी करना ।
To issue CHSS cards for lifetime / for a period of 3 years to such children on the request of legal guardian in the event of death of prime beneficiary and spouse.

2. विभाग में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि 18.05.2009 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के खंड (i) में उल्लेखानुसार *"अत्यधिक तथा गंभीर दिव्यांगता"* के लिए दिव्यांगता क्रमश: 90% तथा 100% होगी । इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि 18.05.2009 के कथित कार्यालय ज्ञापन के खंड (ii) तथा (iii) में आंशिक संशोधन करते हुए अवधि में छूट दी जाए और वहां पर उल्लिखित तीन वर्ष के बजाय सीएचएसएस कार्ड पांच वर्ष के लिए जारी किया जाए ।

After careful consideration in the Department it is hereby clarified that the *"severe and profound disability"* mentioned in clause (i) of the aforesaid OM dated 18.05.2009 shall be 90% and 100% disability respectively. It has been further decided to relax the periodicity, in partial modification to clause (ii) and (iii) of the said OM dated 18.05.2009 and to issue CHSS cards for a period of five years instead of three years mentioned therein.

3. इसे विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of competent authority in the Department.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

<u>सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारी</u>
<u>All CHSS Administering Authorities</u>